

जिला न्यायाधीश कार्यालय/अतिरिक्त कलेक्टर, फतेहपुर, जनपद बाराबंकी ।

मातृ सं. मा. सं. १५५३
ग्राम- गुग्गाँह परगना- कर्ना
तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी ।

इन्स्टीट्यूट आफ इन्वॉयसमेंट एंड मैनेजमेंट प्रबंधक हनुमतीश्रीवाराहव निवासी

नाम
गाँव पंचायत गुग्गाँह

द्वारा 183 जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

आदेश

इन्स्टीट्यूट आफ इन्वॉयसमेंट प्रबंधक हनुमतीश्रीवाराहव निवासी 351 लेक्टर जे अलीगंज तहसील ने प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि मातृ संख्या 359/1-129 हेड भू. सं. 34679 में से 9.94 हेड एवं 351/9/342, 352/9. 188, 353/9. 177, 354/9. 982 हेड भू. सं. 18.75 पैसा के 1/2 का वह संश्लेषण भूमि-धार एवं तहसीलदार हैं। भूमि पर वह कृषि कार्य नहीं कर रहा है और भूमि को आबादी में प्रयोग कर रहा है जिसे आबादी घोषित किया जाये। तहसीलदार ने रिपोर्ट दिनांक 10-4-95 प्रेषित की है जिसमें भूमि विवादित को बादा को तहसीलदारी में अंकित होना कहा है। किसी ने कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है।

अतः मैं परगने का अतिरिक्त कलेक्टर ग्राम गुग्गाँह परगना कर्ना को भूमि सं. 359/1-129 हेड में से 9.94 हेड, 351/9. 342, 352/9. 188, 353/9. 177 354/9. 982 हेड में से 1/2 लगान समीक्षक परत भूमि को कुकुट पालन मत्त्व पालन आदि से अक्षमब्ध प्रयोजनार्थ घोषित करता हूँ। बादा के नाम को भूमि का समीक्षक परत लगान मुक्त किया जाये। आदेश को एक प्रति अनुपालनार्थ तहसीलदार फतेहपुर को एवं एक प्रति उपनिबंधक फतेहपुर को नियमानुसार निवासी परीक्षण हेतु भेजा जाये। बादा को एक वर्ष का प्रयासों संघित राजस्व अभिलेखागार हो।

दिनांक: 23-02-97

अतिरिक्त कलेक्टर/उपनिबंधक
फतेहपुर - बाराबंकी ।



महोदय, उपरोक्त कादेश के त्वरेत को प्रकृत कोई अन्य कादेश प्राप्त नहीं है। इस रिपोर्ट में उपरोक्त कादेश को तहसील में भी प्रकृत।

अप्रकाशित
डा. मोहन
दत्त चिकित्सालय
बलरामपुर अस्पताल
लखनऊ

अप्रकाशित
तहसीलदार
फतेहपुर